

बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
सं०-6/निदे०आयु०चि०के०(संघा०)-01-01/2017- 93

प्रेषक,

विरेन्द्र कुमार,
निदेशक ।

सेवा में,

आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी ।
सरोदाग (कैमूर) / मलिनियों (पूर्णियों) / रूपावेल (जमुई) एवं बहरट (जमुई)

पटना, दिनांक-23-11-17

विषय: वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ स्थायी आयुर्वेदिक चिकित्सा केन्द्र के संधारण हेतु वेतन, जीवन यापन भत्ता, अन्य भत्ता एवं अन्य मदों में पूरे वर्ष के लिए कुल ₹ 6,06,000/- (छः लाख छः हजार रु०) मात्र का अतिरिक्त आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ 10 स्थायी आयुर्वेदिक चिकित्सा केन्द्रों के संधारण हेतु वेतन, जीवन यापन भत्ता एवं अन्य भत्ता मद में आवंटन विभागीय आवंटनादेश संख्या 10 दिनांक 24/05/2017 एवं आवंटनादेश संख्या-50 दिनांक 01.08.2017 के द्वारा कमशः ₹1,04,82,000/- एवं ₹16,29,000/- अर्थात् कुल ₹1,21,11,000/- (एक करोड़ एकीस लाख ग्यारह हजार रु०) मात्र दिया गया था । संबंधित आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी के मॉग पत्र के आलोक में केन्द्र के संधारण हेतु कुल ₹ 6,06,000/- (छः लाख छः हजार रु०) अतिरिक्त आवंटन निम्न प्रकार दिया जाता है । (राशि-रु० में)

क्रमांक	आयुर्वेदिक चिकित्सा केन्द्र का नाम	वेतन	जीवन यापन भत्ता	मकान किराया भत्ता	चिकित्सा भत्ता	कुल वेतन	भाड़े की गाड़ी का भुगतान	कुल आवंटित राशि
1	सरोदाग (कैमूर)	70,000	1,20,000	12,100	1,000	2,03,100	0	2,03,100
2	मलिनियों (पूर्णियों)	70,000	1,20,000	12,300	800	2,03,100	0	2,03,100
3	रूपावेल (जमुई)	30,000	50,000	4,800	0	84,800	60,000	1,44,800
4	बहरट (जमुई)	20,000	32,000	3,000	0	55,000	0	55,000
	कुल:-	1,90,000	3,22,000	32,200	1,800	5,46,000	60,000	6,06,000

(कुल छः लाख छः हजार रु० मात्र)

2- कुल भारत व्यय की राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में आय-व्यय शीर्ष 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण- 02- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-282-स्वास्थ्य-मांग सं-44-0001-आयुर्वेदिक एवं ठक्कर कुष्ठ निवारण केन्द्रों का संधारण- कूट सं०-0001.01.01-वेतन, 0001.01.03-जीवन यापन भत्ता, 0001.01.04-मकान किराया भत्ता, 0001.01.06- चिकित्सा भत्ता, 0001.13.10-भाड़े की गाड़ी का भुगतान- विपत्र कोड -44-2225022820001 के उचित इकाई के अन्तर्गत विकलनीय है ।

3- इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी होंगे जो पूर्व से इस योजना हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित हैं । जहाँ पर आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी पदस्थापित नहीं है, वहाँ राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे । वे निकासी की गयी राशि का व्यय विवरणी प्रत्येक माह में विभाग को भेजेंगे । साथ ही व्यय के पश्चात राशि की बचत का मदवार प्रत्यार्पण विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे । संबंधित उप विकास आयुक्त इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे ।


4- वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक 2561 दिनांक 17-4-98 एवं पत्रांक 3002 दिनांक 26.04.2017 के आलोक में यह आवंटनादेश निर्गत किया जा रहा है । अतः समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में आवंटित राशि की निकासी एवं व्यय किया जायेगा ।

5- राशि की नियमानुसार निकासी एवं व्यय का पूर्ण दायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पर होगा तथा व्यय के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे ।

6- इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को दी जा रही है ।

7- कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय ।

विश्वासभाजन,



(वीरेन्द्र कुमार)
निदेशक ।

ज्ञापांक- सं०-6/निदे०आयु०चि०के०(संघा०)-01-01/2017- १३ पटना, दिनांक- 23-11-17
प्रतिलिपि : (1) महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बजट शाखा, बिहार, पटना को

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(2) सचिव के प्रधान आप्त सचिव, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

(3) प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/पूर्णिमा एवं मुंगेर / जिला पदाधिकारी, कैमूर/ पूर्णिमा एवं जमुई/उप विकास आयुक्त, कैमूर/ पूर्णिमा एवं जमुई/ कोषागार पदाधिकारी, कैमूर/ पूर्णिमा एवं जमुई /संबंधित उप कोषागार पदा०/ प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण, पटना/पूर्णिमा एवं मुंगेर /जिला कल्याण पदाधिकारी, कैमूर/ पूर्णिमा एवं जमुई / बजट शाखा एवं सांख्यिकी कोषांग, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/आई०टी०मेनेजर, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।


निदेशक 21/11/17